अत्यन्त महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–809 / छः–पु0–9–16–31(90) / 2010

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग–9 लखनऊः दिनांकः 07 अप्रैल,2017

विषयः–एसिड (तेजाब) की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश विष (कब्जा और विक्रय) नियमावली,2014 में निहित प्रावधानों के कियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्रिमिनल रिट याचिका संख्या–129 / 2006 लक्ष्मी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में प्रदेश में एसिड (तेजाब) के कय–विकय तथा भण्डारण को विनियमित करने तथा उनका कठोरता से प्रवर्तन करने हेतु मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की ओर से निर्गत शासनादेश संख्या एस0सी0– 06(1) / छः–पु0–9–13–31(90) / 2010 दिनांक 16.8.2013 एवं तत्कम में दिनांक 14.07.2014 को उत्तर प्रदेश विष (कब्जा और विकय) नियमावली,2014 अधिसूचित की गयी थी। इस कम में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पी0आई0 एल0 संख्या–18294 / 2016 मुहिम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.05.2016 तथा रिट याचिका (सी), संख्या–44094 / 2016, मोमिन बनाम उ0प्र0 राज्य तथा अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.10.2016 में एसिड (तेजाब) के भण्डारण, बिकी किए जाने एवं अनुज्ञप्ति की शर्तो का उल्लंघन किए जाने एवं तेजाब की आपराधिक घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार एवं उनको तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में कमशः दिनांक 03.12.2013, 22.4.2014, 06.02.2015 तथा दिनांक 10.04.2015 को अत्यन्त महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं।

2– मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 11.05.2016 के अन्तर्गत तेजाब की बिकी के संबंध में दिये गये निर्देश निम्नवत् हैं:–

(1) तेजाब– विकेता द्वारा एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें कय करने वाले व्यक्ति का पूर्ण विवरण, उसका नाम, पता एवं कय करने की मात्रा एवं प्रयोजन का उल्लेख किया जायेगा। उक्त विवरण का उल्लेख किये बिना किसी व्यक्ति को किसी भी दशा में तेजाब (एसिड) का विकय नहीं किया जायेगा।

(2) तेजाब के विकेता द्वारा केता से उसके संबंध में शासन द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पहचानपत्र, जिसमें उसके पते का स्पष्ट उल्लेख हो, का अवलोकन कर उसकी प्रति प्राप्त की जायेगी।

(3) तेजाब के विक्रेता द्वारा 15 दिन के भीतर तेजाब के स्टाक की रिपोट सम्बन्धित उप जिला मैजिस्ट्रेट के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जायेगी।

(4) किसी अवयस्क व्यक्ति (जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो) को किसी भी दशा में तेजाब की बिक्री नहीं की जायेगी।

तेजाब–विक्रेता द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में तेजाब के स्टाक की स्थिति सही प्रकार से उप जिला मैजिस्ट्रेट के समक्ष न प्रस्तुत किए जाने पर सम्बन्धित उप जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा सम्पूर्ण स्टाक को जब्त कर लिया जाएगा और वह विक्रेता पर रूपये 50,000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) तक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

(5) उपर्युक्त दिशा–निर्देशों में से किसी भी निर्देश का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में उप जिला मैजिस्ट्रेट विक्रेता पर रू0 50,000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) तक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

इस कम में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा तेजाब के भण्डारण एवं बिकी को नियंत्रित करने तथा उसके दुरूपयोग को रोकने तथा आपराधिक कृत्यों में तेजाब के इस्तेमाल को कठोरता से प्रतिबन्धित करने के उद्देश्य से उ0प्र0 विष (कब्जा और विकय) नियमावली, 2014 प्रख्यापित की गयी है जिसमें अनुज्ञप्ति की शर्तो, भण्डारण तथा कय और विकय की प्रकिया को विनियमित किया गया है। उक्त नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची में विष (Acid and Poisons) को भण्डारित करने, कब्जे में रखने एवं विकय के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) धारित करना अनिवार्य है तथा अनुज्ञप्ति की शर्तो में तेजाब या विष के विकय के संबंध में निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर रखना अनिवार्य है जिसमें विकय का दिनांक , केता का नाम, टेलीफोन नं0/मोबाइल नं0 और पता, विष (एसिड) नाम, विकय की मात्रा एवं अपेक्षित विष (एसिड) का केता द्वारा बताये गये प्रयोजन का उल्लेख करना अनिवार्य है। इसके साथ ही रजिस्टर में निर्धारित स्तम्भ में केता द्वारा अपना हस्ताक्षर किया जायेगा। केता के निरक्षर होने की स्थिति में उसके द्वारा अपना निशानी अंगूठा लगाया जायेगा। रजिस्टर के अन्तिम स्तम्भ में विक्रेता द्वारा भी अपना हस्ताक्षर किया जायेगा। इसी प्रकार अनुज्ञप्ति के नियम–7 (ए) के अन्तर्गत स्टाक रजिस्टर निम्नांकित स्तम्भों के अनुसार विक्रेता द्वारा रखा जायेगा–

क– कम संख्या
ख– दिनांक
ग– प्राप्ति की मात्रा और उस व्यक्ति का नाम और पता, जिससे प्राप्त किया गया हो।
घ– उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे विकय किया गया हो।
ड.– विकय की गयी मात्रा।
च– अतिशेष मात्रा(Balance in stock)

कोई मैजिस्ट्रेट या औषधि–नियंत्रण विभाग का कोई अधिकारी, जो औषधि निरीक्षक के स्तर का या उसे उच्च स्तर का हो या उप निरीक्षक के स्तर का या उससे उच्च कोई पुलिस अधिकारी या सहायक चिकित्सा अधिकारी किसी भी समय सभी प्रकार

के विषों का और उक्त नियमावली नियम 15 व 16 के अधीन बनाये गये रजिस्टर का निरीक्षण कर सकता है।

उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 13 जून,2016 के अन्तर्गत उ0प्र0 विष (कब्जा और विक्रय) नियमावली, 2014 में विहित प्रावधानों तथा मा0 उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के उपरिसंदर्भित आदेशों में दिए गये दिशा–निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गयी थी और प्रत्येक माह की 7 तारीख तक तेजाब (एसिड) विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण करने, पाई गयी अनियमिताओं एवं कृत कार्यवाही तथा अधिरोपित किये गये एवं वसूल किये गये जुर्माने के संबंध में सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई थी किन्तु यह अत्यन्त खेदजनक है कि नियमित रूप से उक्त महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उप जिला मैजिस्ट्रेट्स द्वारा तेजाब की दुकानों का निरीक्षण नहीं किया जा रहा है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि कृपया उक्त दिशा–निर्देशों का तत्परतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त उप जिला मैजिस्ट्रेट्स को एवं नियमावली के अधीन विक्रेता की दूकान/परिसर का निरीक्षण करने हेतु अधिकृत अधिकारियों को सुस्पष्ट निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें तथा जिले के सभी उप जिला मैजिस्ट्रेट्स से प्राप्त सूचना संकलित कर गृह विभाग के फैक्स नं0 0522–2238407/2238409 पर अथवा ईमेल (sopolice09@gmail.com) पर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन सं0– (1–3), तद्‌दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अपेक्षित कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया जनपदों से प्राप्त सूचना संकलित कर प्रत्येक माह की 15 तारीख तक मेरे समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(2) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3) समस्त ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश को उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालनार्थ।

आज्ञा से,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव।